

## राजस्थान शिक्षक संघ (राष्ट्रीय)

### प्रारम्भिक एवं माध्यमिक शिक्षा माँग-पत्र

1. शिक्षकों की छठें वेतनमान की विसंगतियों को दूर करते हुए केन्द्र के अनुरूप सातवें वेतनमान में पे-मैट्रिक एवं लेवल निर्धारित कर 01.01.2016 से नगद परिलाभ दिया जाये।
2. नवीन पेंशन योजना (N.P.S.) समाप्त कर पुरानी पेंशन योजना लागू की जाये।
3. विभाग में पदस्थापन हेतु प्रचलित काउन्सिलिंग पद्धति को युक्ति-युक्त बनाकर समस्त वर्गों के शिक्षकों के लिये हितकारी, पारदर्शी एवं सुविधाजनक बनाया जाए। पदस्थापन हेतु सूचियों के वरियता निर्धारण में समान दृष्टिकोण अपनाते हुए वरियता निर्धारण किया जाए एवं समस्त रिक्त स्थान पर्याप्त समय पूर्व प्रसारित किये जाए।
4. स्टाफिंग पैटर्न के मानदण्डों पर पुनः विचार कर केन्द्रिय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड एवं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के मानदण्डानुसार पदों का निर्धारण किया जाए। स्टाफिंग पैटर्न के मानदण्डों में विद्यालय के नामांकन एवं विषय को आधार माना जाए।
5. विद्यालय का समय पूर्ववत् किया जाए।
6. राजस्थान शिक्षक संघ (राष्ट्रीय) को अविलम्ब मान्यता प्रदान की जाये।
7. सभी वर्ग के शिक्षकों को प्रथम नियुक्ति तिथि से ए.सी.पी. का लाभ दिया जाए।
8. ग्रामीण क्षेत्र में कार्यरत शिक्षकों को ग्रामीण भत्ता दिया जाए।
9. नव-नियुक्त शिक्षकों का परिवीक्षा काल सम्पूर्ण सेवा अवधि में केवल एक बार हो, परिवीक्षा काल अवधि 2 वर्ष से घटाकर 1 वर्ष की जाए तथा परिवीक्षा काल में स्थिर वेतन के स्थान पर नियमित वेतन मान दिये जाये।
10. R.P.M.F. की कटोती तत्काल बन्द की जाए।
11. व्याख्याताओं की अनुसूची-5 के तहत हुई कटोती को समाप्त किया जावे एवं उसी अनुसार वरिष्ठ अध्यापक एवं अध्यापक की वेतन विसंगति दूर की जावे।
12. प्रयोगशाला सहायक एवं प्रयोगशाला सहायक से समायोजित एवं पदोन्नत अध्यापकों को अध्यापक पद के अनुरूप ही उन्हें समस्त परिलाभ दिये जाए।
13. पंचायत राज मद के शिक्षकों के वेतन बजट हेतु एकमुश्त बजट आवंटित करते हुए वेतन भुगतान की व्यवस्था P.E.E.O. के माध्यम से कोष कार्यालय के द्वारा की जाये।
14. अनुदानित विद्यालयों से समायोजित शिक्षकों को उनकी प्रथम नियुक्ति से पदोन्नति, पेंशन एवं समस्त परिलाभ दिये जाएं।
15. निःशुल्क शिक्षा लागू होने के कारण विद्यालय परिचालन के लिये छात्र कोष शुल्क का पुनर्भरण करने हेतु बजट आवंटित किया जाये।
16. उच्च प्राथमिक विद्यालय में लेवल-2 में गणित व विज्ञान के पद पृथक-पृथक स्वीकृत किये जाए।
17. समस्त श्रेणी के विद्यालयों में शारीरिक शिक्षक, पुस्तकालयाध्यक्ष, सहायक कर्मचारी एवं कम्प्यूटर शिक्षक के पदों का सृजन किया जाकर रिक्त पद अविलम्ब भरे जाए।
18. माननीय न्यायालय एवं RTE अधिनियम के निर्देशानुसार शिक्षकों को समस्त गैर शैक्षिक कार्यों यथा जनगणना, पोषाहार, भवन निर्माण, B.L.O. तथा वर्ष पर्यन्त निर्वाचन के नाम पर प्रतिनियुक्ति व्यवस्था से पूर्णतः मुक्त किया जाए।

19. सभी कार्यालयों में निरीक्षण अधिकारियों तथा मंत्रालयिक कर्मचारियों के पद उनके अधिनस्थ विद्यालयों के अनुपात में सृजित किये जाये एवं कार्यालयों को समुचित संसाधन उपलब्ध कराये जाये।
20. विभाग में शेष रहे योग्यताधारी पैराटीचर, शिक्षाकर्मी एवं संवीदा शिक्षक को प्रबोधकों के पद पर लगाया जाए तथा वर्तमान में कार्यरत प्रबोधकों को अध्यापक की भांति पदोन्नति एवं समस्त परिलाभ प्रदान किया जाए।
21. कृषि, वाणिज्य, गृह विज्ञान, संगीत, कला, सामाजिक विज्ञान आदि के अध्यापकों को उप्रावि प्रधानाध्यापक पद पर पदोन्नति दी जाए।
22. स्थानान्तरण के नियम बनाए जाए।
23. शिक्षकों को अवकाश के दिन कार्य करने पर क्षति-पूर्ति अवकाश प्रदान किया जावे।
24. कृषि विषय के तदर्थ व्याख्याताओं को कार्यरत पद पर नियमित किया जाए।
25. वाणिज्य वर्ग के व्याख्याता की सीधी भर्ती एवं पदोन्नति विषयवार की जाए।
26. संगठन द्वारा आयोजित शैक्षिक सेमिनार व कार्यशाला के लिए पूर्व की भांति विशेष अवकाश स्वीकृत किये जाए।
27. पूर्व प्राथमिक शिक्षकों को सामान्य शिक्षकों के समान वेतन व समस्त परिलाभ उपलब्ध कराये जाए।
28. पातेय वेतन/तदर्थ रूप से पदस्थापित शिक्षकों को कार्यरत पद के समस्त परिलाभ दिये जाए।
29. शिक्षा विभाग एवं उसके अन्तर्गत संचालित परियोजनाओं/बोर्ड आदि मे विभागीय अधिकारियों की ही नियुक्ति की जाए।
30. आर.टी.ई. के अन्तर्गत निजी विद्यालयों की फीस पुनर्भरण की व्यवस्था समाप्त की जाए।
31. कुक कम हेल्पर के मानदेय में वृद्धि की जाए



(अरविन्द व्यास)  
महामंत्री

## राजस्थान शिक्षक संघ (राष्ट्रीय)

### संस्कृत शिक्षा माँगपत्र

1. शिक्षकों की छठें वेतनमान की विसंगतियों को दूर करते हुए केन्द्र के अनुरूप सातवें वेतनमान में पे-मैट्रिक एवं लेवल निर्धारित कर 01.01.2016 से नगद परिलाभ दिया जाये।
2. नवीन पेंशन योजना (N.P.S.) समाप्त कर पुरानी पेंशन योजना लागू की जाये।
3. विद्यालय का समय पूर्ववत् किया जाए।
4. राजस्थान शिक्षक संघ (राष्ट्रीय) को अविलम्ब मान्यता प्रदान की जाये।
5. राज्य सरकार के वर्ष 2000 के निर्देशानुसार स्कूल विभाग का स्वतंत्र रूप से गठन किया जाए एवं जिला स्तर पर प्रशासनिक ढाँचा सृजित किया जाए।
6. प्रत्येक ब्लॉक में 10 संस्कृत विद्यालय खोले जाए तथा 1 आदर्श वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय की स्थापना की जाए।
7. सभी पदों पर विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा प्रतिवर्ष पदोन्नति सुनिश्चित की जावें तथा प्राध्यापक/उपनिरीक्षक, प्रधानाध्यापक प्रवेशिका/वरिष्ठ उपनिरीक्षक एवं प्रधानाचार्य वरिष्ठ उपाध्याय की पदोन्नति में निर्धारित योग्यता में 48 प्रतिशत की बाध्यता समाप्त की जावें।
8. विभाग में अधिकारों का विकेन्द्रीकरण करते हुए सहायक प्रशासनिक अधिकारी तक एवं द्वितीय श्रेणी शिक्षक तक के संस्थापन जैसे की स्थानान्तरण एवं पदस्थापन के अधिकार संभागीय संस्कृत शिक्षा अधिकारी को दिये जाए।
9. प्रधानाचार्य वरि.उपा.की ग्रेड पे केन्द्र के अनुरूप 7600 कर सातवें वेतनमान में उसके अनुरूप लेवल का निर्धारण किया जाए।
10. प्रत्येक जिले में एक वेद विद्यालय की स्थापना की जावें।
11. संस्था प्रधानों की संभाग स्तरीय वाक्पीठ का आयोजन प्रतिवर्ष किया जावे।
12. संस्कृत शिक्षा विभाग के समस्त सामान्य विषय के शिक्षकों को संस्कृत संभाषण का प्रशिक्षण दिया जाये जिससे संस्कृतमय वातावरण का निर्माण हो।
13. निःशुल्क शिक्षा लागू होने के कारण विद्यालय परिचालन के लिये छात्र कोष शुल्क का पुनर्भरण करने हेतु बजट आवंटित किया जाये।
14. उच्च प्राथमिक विद्यालय में लेवल-2 में गणित व विज्ञान के पद पृथक-पृथक स्वीकृत किये जाए।
15. संभाग स्तरीय खेल-कूद प्रकोष्ठ का गठन कर वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक को पदस्थापित किया जाये।
16. संस्कृत शिक्षा में संवेतन के लिए सभी मदों में एकमुश्त बजट का आवंटन किया जावें।
17. टी.ए. एवं मेडिकल बिलों के भुगतान हेतु शून्य आधारित बजट जारी किया जावे।
18. संस्कृत विषय की निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों की उपलब्धता सत्रारम्भ में सुनिश्चित की जावें।
19. राज्य सरकार द्वारा SMSA तथा अन्य परियोजनाओं में संस्कृत शिक्षा के शिक्षकों को भी प्रतिनियुक्ति के अवसर उपलब्ध कराये जाए।
20. बी.एड. एवं उच्च अध्ययन के लिए अध्ययन अवकाश शिक्षा विभाग के अनुरूप स्वीकृत किया जावें।
21. पंचायत राज से संस्कृत शिक्षा में आए शिक्षकों की पूर्व सेवा को नियमित मानते हुए पेंशन योग्य सेवा में सम्मिलित किया जाए।
22. समानीकरण एवं स्थानान्तरण नियम बनाये जावें।

23. समस्त प्रवेशिका एवं वरिष्ठ उपाध्याय विद्यालयों में मंत्रालयिक कर्मचारी, शारीरिक शिक्षक, कम्प्यूटर शिक्षक, पुस्तकालयाध्यक्ष एवं आवश्यकतानुसार सहायक कर्मचारी के पदों का सृजन कर भरा जावे।
24. माननीय न्यायालय एवं R.T.E. अधिनियम के निर्देशानुसार शिक्षकों को समस्त गैर-शैक्षणिक कार्यों यथा जनगणना, पोषाहार, भवन निर्माण, बी.एल.ओ. तथा वर्ष पर्यन्त निर्वाचन के नाम पर प्रतिनियुक्ति/व्यवस्था से पूर्णतया मुक्त किया जाये।
25. सभी पदों पर पदोन्नति से 15 दिन पूर्व संभावित सूची का प्रकाशन करते हुए शिक्षकों से आपत्तियाँ मांगी जावे एवं पदस्थापन काउन्सलिंग के माध्यम से किया जावे।
26. नामांकन एवं विषय के आधार पर पदों का पुनः निर्धारण किया जाए तथा समस्त विद्यालयों में गणित, विज्ञान, अंग्रेजी आदि के पद का सृजन किया जाए।
27. कुक कम हेल्पर के मानदेय में वृद्धि की जाए



(अरविन्द व्यास)  
महामंत्री